भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-124

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार और प्रोत्साहन

***124. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:**

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 तक विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में हुई वृद्धि और उक्त वृद्धि के माध्यम से सृजित शैक्षणिक क्षमता/बढ़ी अतिरिक्त सीटों का विशेषकर झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विदेशों में आईआईटी/आईआईएम जैसे परिसरों की स्थापना किए जाने और विदेशी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में आकर्षित करने जैसे कदमों से विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा की स्थापना करने या उसका विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विशेषकर झारखंड और आन्ध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु इसे सुलभ और वहनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई छात्रवृत्ति योजनाओं और वित्तीय सहायता योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का विचार झारखंड के रामगढ़ और हजारीबाग जिलों के छात्रों को उक्त पहलों का लाभ प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का है;

(ङ.) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं (जैसे मैट्रिकोत्तर, मेधा-सह-साधन तथा केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाओं आदि) के अंतर्गत झारखंड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थी छात्रों की संख्या कितनी है, कितनी राशि आवंटित की गई है और इन योजनाओं का छात्रों के संबंध में कवरेज कितना है;

(च) क्या सरकार जनजातीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महाराष्ट्र के पालघर जैसे जनजाति बहुल जिलों में उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है; और

(छ) शैक्षिक उत्कृष्टता में भारत के उदय के संकेतकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, छात्रों/संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रमों और बेहतर वैश्विक रैंकिंग के संबंध में क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार और प्रोत्साहन के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया और डॉ.संजय जायसवाल द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के पोर्टल के अनुसार, देश में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाओं, महाविद्यालयों और स्वतंत्र संस्थाओं की संख्या बढ़कर क्रमशः 1395, 53197 और 16577 हो गई। एआईएसएचई पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए उच्च शिक्षा संस्थाओं के बारे में राज्य-वार डेटा https://dashboard.aishe.gov.in/hedirectory/#/hedirectory पर उपलब्ध है।

उच्च शिक्षा में नामांकन 2014-15 में 3.42 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 4.46 करोड़ हो गया है, जिसमें महिला नामांकन 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.18 करोड़ हो गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन 2014-15 में 46.07 लाख से बढ़कर 2022-23 में 69.13 लाख हो गया है। एसटी छात्रों का नामांकन 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2022-23 में 28.72 लाख हो गया है। कुल एसटीईएम नामांकन 99.76 लाख है।

वर्ष 2014 से, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसरण में, सरकार ने आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) में स्थापित पांच नए आईआईटी के रिसर्च पार्क के निर्माण सहित शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 11,828.79 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिससे अतिरिक्त 6500 छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ होगी। उपरोक्त के अलावा सरकार ने उच्च शिक्षा निधियन एजेंसी (एचईएफए) के माध्यम से आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी इंदौर के लिए शैक्षणिक और छात्रावास के अवसंरचना के विस्तार और अनुसंधान पार्क के विकास के लिए कुल 1942 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

(ख): सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थाओं को विदेशों में परिसर स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है, जिसमें ज़ांज़ीबार, तंजानिया में आईआईटी मद्रास परिसर; अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली परिसर और दुबई में आईआईएम अहमदाबाद परिसर शामिल हैं।

विदेशी संस्थाओं को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम 2023 के तहत भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थाओं (एफएचईआई) की स्थापना को सक्षम किया है। साउथैम्प्टन

विश्वविद्यालय (यूके), गुरुग्राम परिसर ने आशय पत्र (एलओआई) के साथ-साथ अनुमोदन पत्र (एलओए) देने के बाद सत्र 2025-26 के लिए अपना शैक्षणिक संचालन शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से एफएचईआई को भारत में विभिन्न स्थानों जिनमें बेंगलुरु (कर्नाटक), दिल्ली एनसीआर, मुंबई (महाराष्ट्र) और चेन्नई (तमिलनाडु) शामिल हैं। पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए 13 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) विनियम 2022 के तहत, यूके, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी आयरलैंड के 5 विश्वविद्यालयों को गुजरात के गांधीनगर में जीआईएफटी सिटी एसईजेड में विदेशी शाखा परिसर संचालित करने के लिए मंजूरी दी गई है। इन 5 विश्वविद्यालयों में, ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय और ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं।

भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने 2018 में 'स्टडी इन इंडिया' योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक अध्ययन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है जो किफायती लागत पर विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करता हो। कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग भारत में अध्ययन (एसआईआई) पोर्टल है, जो सभी आने वाले विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश और वीजा आवेदनों के लिए वन-स्टॉप स्थल है और भारतीय उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, यूजीसी द्वारा सितंबर 2022 में 'भारत में उच्च शिक्षा संस्था में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिसंख्यात्मक सीटों के लिए दिशा निर्देश' जारी किए गए थे।

यूजीसी ने "यूजीसी (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रदान के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2021" भी जारी किए हैं, जो छात्रों को भारतीय और विदेशी दोनों विश्वविद्यालयों से अपने कार्यक्रमों के कुछ हिस्सों को करने की अनुमति देता है, जिससे शैक्षणिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के साथ-साथ छात्रों और संकाय की गतिशीलता होती है।

(ग) से (च): शिक्षा समवर्ती सूची में है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही शिक्षा के विकास के लिए काम करती हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जा रही हैं। इन छात्रवृत्ति योजनाओं

के तहत, एससी, एसटी और ओबीसी से संबंधित छात्रों सहित सभी छात्रों को उनके माता-पिता की आय सीमा और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ दिया जाता है।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना को कार्यान्वित करता है जिसके तहत भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र शामिल हैं, को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति मिलती है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने नवंबर 2024 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को वित्तीय बाधाओं के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस योजना के तहत, सभी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जो शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थाओं (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण का लाभ उठाना चाहते हैं और इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अलावा, 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, योजना 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान करती है। कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट नहीं पाने वाले एक लाख तक नए छात्रों को यह ब्याज छूट मिलेगी। दिनांक 25 फरवरी 2025 और 28 जनवरी 2026 के दौरान 57,000 से अधिक पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत राशि 7395 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2024-25 में, लगभग 95 लाख छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) के छात्रों के लिए लगभग 27 लाख छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए लगभग 48 लाख छात्रवृत्तियां और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए लगभग 17 लाख छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

झारखंड राज्य में, पीएम-यूएसपी कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (पीएम-यूएसपी सीएसएस) (नई+नवीनीकरण) और पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान 4076 ओबीसी छात्रों के लिए 8.89 करोड़ रुपये, 713 एससी छात्रों के लिए 4.73 करोड़ रुपये और 729 एसटी छात्रों के लिए 1.05 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता वितरित की गई।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत, झारखंड राज्य में पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के

दौरान 8027 छात्रवृत्तियों (नई + नवीनीकरण) (एससी छात्रों के लिए 850 और एसटी छात्रों के लिए 1437 सहित) को पुरस्कृत करने के लिए 9.63 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रशासित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, केंद्र ने पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक झारखंड में 1,36,316 अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभान्वित करते हुए 94.61 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्र प्रायोजित दो योजनाओं- अनुसूचित जनजाति के छात्रों (कक्षा-9 और 10) के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों (कक्षा-11 और उससे ऊपर) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रशासित कर रहा है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। झारखंड में, केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान 3,72,930 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करते हुए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 57 करोड़ रुपये और पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान 3,61,413 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 253.11 करोड़ रुपये जारी किए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाओं- उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष वर्ग) भी कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान झारखंड के 214 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करते हुए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के तहत 10.33 करोड़ रुपये और पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान झारखंड के 348 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करते हुए उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के तहत 8.51 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति लागू की जाती है और विदेश में पढ़ रहे एसटी छात्रों को दूतावासों के माध्यम से निधियां जारी की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आगे विदेश मंत्रालय को धन की प्रतिपूर्ति करती है। इस योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान विदेश में पढ़ रहे 10 एसटी छात्रों के लिए 1.31 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

एआईएसएचई 2022-23 के अनुसार, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 85 उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं। कुल नामांकन 63,725 छात्रों का हैं। श्रेणी-वार नामांकन 3,644 एससी छात्रों, 8,670 एसटी छात्रों और 13,795 ओबीसी छात्रों को दर्शाता है।

एनईपी 2020 के अनुरूप, सरकार ने शैक्षणिक रूप से असेवित/अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय से जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) का तीसरा चरण शुरू किया है। पीएम-उषा के तहत, फोकस जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर फोकस जिलों की पहचान की जाती है, जिनमें कम सकल नामांकन अनुपात, लैंगिक समानता, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या अनुपात और नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमा क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद प्रवण जिला आदि शामिल हैं।

पीएम-उषा के तहत, विभिन्न घटकों के अधीन महाराष्ट्र राज्य में 814.24 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत राशि के साथ 61 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पालघर जिले में जो पीएम-उषा के तहत एक फोकस जिला भी है, 1 इकाई अर्थात "सोनोपंत दांडेकर आर्ट्स कॉलेज एस आप्टे कॉमर्स और एम एच मेहता साइंस कॉलेज (सी-34065)" को कॉलेजों को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान घटक के तहत 5 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि की सहायता को मंजूरी दी गई है।

(छ): सरकार विदेशी छात्रों के नामांकन को सुविधाजनक बनाने, संकाय विनिमय कार्यक्रम, भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने और भारत की वैश्विक रैंकिंग में और सुधार के लिए वैश्विक अकादमिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन), अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क), स्टडी इन इंडिया आदि जैसी अनेक पहलें कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार की एनईपी निर्देशित पहलों के फलस्वरूप क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (क्यूएस डब्ल्यूयूआर) सहित अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय एचईआई के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2026 में 54 भारतीय संस्थाओं को स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले पांच वर्षों में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल भारतीय एचईआई की संख्या दोगुनी हो गई है, जो क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2021 में 27 से बढ़कर क्यूएस डब्ल्यूयूआर 2026 में 54 हो गई है, इस प्रकार सतत नीतिगत पहलों, सुदृढ़ अनुसंधान और नवाचार क्षमता और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की लगातार बढ़ती वैश्विक प्रोफाइल को रेखांकित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में, भारत का 294 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, जो 2025 में 163 और शीर्ष 100 में 7 संस्थानों से अधिक है। 2025 के लिए क्यूएस विषय रैंकिंग में 79 भारतीय एचईआई शामिल थे, जो पिछले वर्ष के 69 से 10 अधिक थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग भी वर्ष 2020 में 48 से बढ़कर वर्तमान में 2025 में 38वें स्थान पर है।

****